DD(FS)

Central/State Government shall ordinarily not to exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipts of applications). **Note 3.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

[F. No. DFSS/04(05)/2019]

NARENDER KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि.116.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में उप निदेशक (न्यायालयिक विज्ञान), समूह 'क' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, उप निदेशक (न्यायालयिक विज्ञान), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगें ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या ,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निदेशक (न्यायालयिक विज्ञान)	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर.12 (78800-209200/- रु)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतगर्त अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतगर्त अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या क़ानूनी या स्वाशासी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सद्रश पद धारण किए हुए हैं ; या ii) जिन्होने वेतन मैट्रिक्स स्तर 11 के पद में पाँच साल की नियमित सेवा की हैं ; और (ख) जो निम्नानुसार विहित आवश्यक अहर्ताएं और अनुभव रखते हैं-: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी या अनुप्रयुक्त भौतिकी या जैव भौतिकी या गणित या व्यवहारिक गणित	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

या न्यायालयिक विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी या रसायन या बायोटेक्नोलॉजी या बायो-केमिस्ट्री या फिजिकल ऐन्थ्रपॉलजी या जेनेटिक्स या फार्माकोलॉजी या फार्मेसी या मनोविज्ञान या अपराध विज्ञान या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या मानव जेनेटिक्स मे स्नातकोत्तर या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से (बायोटेक्नोलॉजी या सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्यूनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या इंस्ट्रूमेंटेशन) या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई) या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (ईसीई) या सूचना प्रौद्योगिकी (आई. टी) या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (ईईई) में बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बी. टेक । (ii) केंद्रीय या संघ राज्य क्षेत्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला / वैज्ञानिक प्रयोगशाला / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में विश्लेषणात्मक कार्य और अनुसंधान में दस वर्षों का अनुभव जिसमें से कम से कम आठ साल का अनुभव न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में होना चाहिए। **टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतय 4 वर्ष से अधिक नही होगी । प्रतिनियुक्ति (ISTC) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी ।		

[फा.सं.डीएफएसएस/04 (04)/2019]

नरेंद्र कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 13th October, 2021

G.S.R. 116.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Deputy Director (Forensic Science), Group 'A' post, in the ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, namely :-

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, Deputy Director (Forensic Science), Group 'A' post, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Director (Forensic Science)	01*(2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level 12 (Rs.78800-209200/-)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Hundred percent by deputation including short term contract

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (Including Short Term Contract): Officers under the Central or State Government or	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

UTs or Statutory or Autonomous Organization or PSUs or Universities or Recognised Research Institutes: a) i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or ii) with five years regular service in posts in Level 11 of the pay matrix; and b) Possessing the essential qualifications and experience prescribed as under :- (i) Masters degree in Physics or Applied Physics or Biophysics or Mathematics or Applied Mathematics or Forensic Science or Botany or Zoology or Micro Biology or Chemistry or Biotechnology or Bio Chemistry or Physical Anthropology or Genetics or Pharmacology or Pharmacy or Psychology or Criminology or Computer Science or Electronics or Human Genetics from a recognised University or Institute. OR B.E or B.Tech in (Biotechnology or Civil or Electrical or Mechanical or Electronics or Telecommunications or Computer Science or Instrumentation) or Computer Science and Engineering (CSE) or Electronics and Communications Engineering (ECE) or Information Technology or Electrical and Electronics Engineering (EEE) from a recognised University or Institute. (ii) Ten years experience of analytical work and research therein in any forensic science laboratory/scientific laboratory/recognised research institute under Central or Union Territory or State Government, out of which at least eight years experience should be in Forensic science laboratory. **Note :** The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The Maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. DFSS/04(04)/2019]

NARENDER KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 117.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में ज्येष्ठ लेखाकार, (समूह ख पद) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-